यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, संचाई खण्ड - कालसी, मुख्यालय - अम्बाड़ी (देहरादून) द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, संचाई खण्ड - कालसी, मुख्यालय - अम्बाड़ी (देहरादून) के माह 12/2016 से 11/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री पी.के. श्रीवास्तव एवं श्री सुनील कुमार, सहायक लेखा परीक्षा अ धकारियों तथा श्री संजीव कुमार, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 16/01/2018 से 25/01/2018 तक श्री जगमोहन संह रावत, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री मनोज कुमार नेगी, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी एवं मनोज कुमार संह, पर्यवेक्षक एवं श्री नन्दन संह भण्डारी, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 13/10/2016 से 24/10/2016 तक श्री दिनेश रमोला, व.लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 07/2015 से 09/2016 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी।

   वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 10/2016 से 12/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः नहरों का निर्माण एवं बाढ़ सुरक्षा योजना, कालसी, टयूनी एवं चकराता।

   (ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	शीर्ष	स्थापना		गैरस्थापना		आ धक्य	बचत (समर्पण)
		प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय		
संलग्न							

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त ` (लाख)	व्यय (+) ` लाख	बचत (-) ` लाख
2014-15	4711 (SPA)	-	223.10	223.08	0.02
	4711 (SSR)	-	355.14	354.47	0.67
2015-16	4711 (CSSR)	-	256.96	256.93	0.03
2016-17	4711 (CSSR)	-	95.55	95.55	-
2017-18	4059	-	225.38	218.22	-

(iii) इकाई को बजट आवंटन केंद्र शासन एव राज्य शासन द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई **A** श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

स चव, संचाई वभाग
प्रमुख अ भयन्ता
मुख्य अ भयन्ता
अधीक्षण अ भयन्ता
अ धशासी अ भयन्ता

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, संचाई खण्ड - कालसी, मुख्यालय - अम्बाड़ी (देहरादून) को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, संचाई खण्ड - कालसी, मुख्यालय - अम्बाड़ी (देहरादून) की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017 को वस्तृत जाँच हेतु चयनित कया गया। वकासनगर वकास खण्ड में उदियाबाग नाले से जल निकासी की योजना का वस्तृत वश्लेषण कया गया। प्रतिचयन अ धक व्यय के आधार पर कया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अ भयन्ता द्वारा वगत लेखापरीक्षा से अब तक की अव ध में दिनांक 21/04/2017 से ..... का निरीक्षण कया गया।

4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवा र्षक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वा र्षक लेखाबन्दी क्रमशः माह 09/2013 तथा 09/2016 तक की गई।
5. फार्म 51: माह 11/2017 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रे षत कया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द् वतीय के अवशेष निम्नवत हैः-

   भाग प्रथमः 39,77,152.00

   भाग द् वतीयः 13,54,323.25
6. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 12/2017 के अन्त में।

   (क) प्रकीर्ण निर्माण अ ग्रम 49,74,936/-

   (ख) सामग्री क्रय शून्य

   (ग) नगत परिशोधन शून्य

   (घ) निक्षेप 2,90,81,815/-

   (ङ) भण्डार (-) 1,62,685/-

भाग दो ‘अ’

-शून्य-

भाग-2 (ब)

प्रस्तर- 1: उत्तराखंड अ धपाप्ति नियमावली का पालन न करते हुये कार्यो का निष्पादन

As per Uttarakhand procurement rule :

42. (1) A group of works which forms one project shall be considered one work, and technical, administrative and financial approval from the competent authority should be taken as one work. The work should not be split just to avoid the procedure of getting the needed approval of the higher authority. This provision,however, shall not apply in case of works of similar nature, which are independent of each other.
(2) In Case of Savings any anticipated or actual savings from sanctioned estimates for a specific project shall not be used either for additional work or any other work not contemplated in the original project without prior approval of the Competent Authority.

58. Single source selection of consultant should ordinarily be avoided as it does not provide the benefits of competition, lacks transparency in selection and could encourage unacceptable practices. However, under some special circumstances, it may become necessary
to select a particular consultant, where adequate circumstances and justification is there to nominate such firm/consultant in the context of the overall interest of the concerned department/organization. Full justification for single source selection should be recorded and approval of the Competent Authority should be obtained before resorting to such single source selection. For single source selection
above Rs.10,00,000/- (Rs. Ten lakh), approval of the Administrative Department and concurrence of the Finance Department will be necessary.

उत्तराखंड शासन द्वारा नाबार्ड योजना के अंतर्गत जनपद देहरादून के वकासनगर खंड मे उदियाबाग नाले से जलनिकासी की योजना (वकासनगर तहसील से आसान नदी तक) हेतु कुल रु 1199.17 लाख की प्रशासनिक एवं वत्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी (दिसंबर 2015) जिसकी प्रा व धक स्वीकृति उक्त धनरा श हेतु ही प्रदान की गयी (मार्च 2016)। कार्य के निष्पपादन हेतु कुल 35 अनुबंध रु

1079.884 लाख की धनरा श हेतु गठित कए गए जिनके कार्य की समाप्ति की निर्धारित ति थ जुलाई से अगस्त के मध्य थी।

अ धशासी अ भयंता, संचाई खंड, कालसी के अ भलेखो की लेखापरीक्षा मे पाया गया (जनवरी 2018) क खंड द्वारा उत्तराखंड अ धप्राप्ति नियमावली 2010 के वपरीत न केवल कार्य को वभाजित कर 35 अनुबंध गठित कए गए अ पतु अधीक्षण अ भयंता पर गठित 03 अनुबन्धो मे से 02 अनुबंध एकल आधार पर गठित कए गए जिसमे से एक अनुबंध 08/SE/2015-16 दिनां कत 04.03.2016 के गठन हेतु प्राप्त नि वदा मे शासन द्वारा black listed ठेकेदार श्री जितेंद्र संह रावत क नि वदा को तकनीकी बिड मे सफल कए जाने के उपरांत अनुबंध गठन मे 2nd न्यूनतम नि वदादाता के साथ अनुबंध गठित करने से रु 2.57 लाख अ धक धनरा श पर अनुबंध का गठन हुआ।

इसके अतिरिक्त योजना के अंतर्गत निष्पादित कए गए 04 items (CC 1:4:8, Stone masonary1:5 इन RRM, PC/RC 1:2:4 एवं wirecrates) के कार्य अनुबं धत लागत से रु 62.99 लाख से अ धक लागत मे कराये गए थे जिसके variation statement भी सक्षम अ धकारी से स्वीकृत नहीं थे।

उक्त की ओर इं गत कए जाने पर खंड द्वारा उत्तर मे बताया गया क कार्य के शीघ्र सम्पादन एवं स्थानीय कास्तकारों को रोजगार देने के लए कार्यो का वभाजन कर अनुबंध गठित कए गए एवं श्री जितेंद्र संह रावत के black list का प्रकरण संज्ञान मे आने पर उसकी नि वदा को निरस्त कर दिया गया तथा पुनः नि वदा आमंत्रित करने पर अ धक दरे आने क संभावना के कारण एकल आधार पर अनुबंध गठित क गयी। पुनः 04 मदों मे अनुबं धत मात्रा से अ धक मात्रा मे कार्य कराने के संबंध मे बताया गया क कार्य स्थल पर उच्च अ धकारियों की मौ खक स्वीकृति के उपरांत आवश्यकतानुसार कार्य के निष्पादन से वृद् ध हुई है जिसकी स्वीकृति अनुबंध के अंतिमीकरण के समय प्राप्त कर ली जाएगी।

खंड का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्यों क अधीक्षण अ भयंता स्तर पर कार्य का वभाजन कर अनुबंध गठित कया जाना छोटे-2 स्थानीय कास्तकारों को रोजगार देना नहीं इं गत करता। इसके अतिरिक्त सर्फ अ धक दरो पर नि वदा आने की संभावना से प्र क्रया का पूर्ण पालन न कर तुलनात्मक अ धक लागत पर एकल आधार पर अनुबंध का गठित कया जाना औ चत्यहीन था। पुनः कार्यो के निष्पादन मे अनुबं धत मात्रा से अ धक मात्रा मे कार्य क भन्नता स्वीकृति बिल भुगतान के पूर्व सुनिश्चित की जानी चाहिए थी।

अतः नि वदा प्र क्रया का पूर्ण पालन न करने से एकल आधार पर अनुबंध के गठन से रु 2.57 लाख अ धक लागत पर अनुबंध का गठन एवं बिना भन्नता स्वीकृति के अनुबं धत लागत से रु 62.99

लाख अ धक लागत का कार्य निष्पादित कर भुगतान का प्रकरण उच्चा धकारिओ के संज्ञान मे लाया जाता है।

प्रस्तर 2: 470.04 लाख के अनुबंध तकनीकी स्वीकृति से पूर्व गठित करना, 258.29 लाख का व्यय कार्य पर भारित न कया जाना, बिना स्वीकृत अ धक मात्रा के कार्य हेतु 43,577/- का भुगतान कया जाना एवं 4.91 लाख की वसूली न कया जाना।

नाबार्ड के अंतर्गत वकासखण्ड में उदियाबाग नाले से जल निकासी की योजना (जंगलात चौकी बुलाकीवाला से बेलवाला तक) हेतु 1272.58 लाख की वत्तीय स्वीकृति प्राप्त थी और इतनी ही धनरा श की तकनीकी स्वीकृति दिनांक 29/03/2016 को प्रदान की गयी थी।

उक्त कार्य की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया क खण्ड द्वारा कार्य को छोटे - छोटे टुकड़ों में वभाजित करते हुए 56 अनुबंध गठित कये गये है जिसमे से अनुबंध संख्या 07/SE/2015-16 09/SE/2015-16 एवं 10/SE/2015-16 क्रमशः 1,56,43,650/-, 1,57,43,750/- एवं 1,56,17,050/- यानि कुल 4,70,04,450/- की धनरा श के अनुबंध तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने (29/03/2016) से पहले ही (05/03/2016) गठित कये गये है। अ गत अनुबंधों के सापेक्ष खण्ड द्वारा ठेकेदारों को वर्तमान (12/2017) तक कुल 1131.54 लाख का भुगतान (खण्ड द्वारा प्रस्तुत ववरण के अनुसार) कया गया है परन्तु मा सक लेखा (12/2017) के प्रपत्र-64 में उक्त कार्य पर अद्यतन व्यय मात्र 873.25 लाख भारित कया है यानि 258.29 लाख (1131.54 - 783.25) कम के साथ ही यह भी पाया गया क अनुबंध संख्या 07/SE/2015-16 एवं 25/SE/2016-17 में अनुबं धत कार्य मद Earth Work की मात्रा क्रमशः 6500 cum एवं 2018 cum के सापेक्ष अ धक मात्रा में कार्य कराते हुए वाऊचर संख्या 167 एवं 168 (03/2017) द्वारा 7234.91 cum एवं 2418.63 cum कार्य हेतु ठेकेदारों को भुगतान कया गया है जब क घाटा-बड़ी (Variation statement) द्वारा मात्र 6832.74 cum एवं 2350.63 cum का ही कार्य स्वीकृत है। इस प्रकार (7234.91 - 6832.74)= 402.17 cum एवं (2418.63 - 2350.63) = 68 cum कुल 470.17cum के अ धक कार्य हेतु बिना स्वीकृत के 43577/- (37321 + 6256) का अनु चत (Unjustified) व्यय कार्य पर भारित कया गया है। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया क दिनांक 21/04/2016 को गठित अनुबंध संख्या 11/EE/2016-17, अनुमानित लागत 49,13,340/- में अनुबं धत कार्य पूर्ण करने की ति थ दिनांक 20/08/2016 थी परन्तु ठेकेदार द्वारा कार्य दिनांक 05/10/2016 को पूरा कया यानि 46 दिन वलम्ब से परन्तु खण्ड द्वारा ठेकेदार के अन्तिम बिल से दण्ड के रूप में कोई भी धनरा श नहीं वसूली है जब क अनुबंध में वलम्ब से कार्य पूरा करने पर प्रतिदिन अनुमानित लागत का 1 प्रतिशत अ धकतम अनुमानित लागत का 10 प्रतिशत आ र्थक दण्ड वसूले जाने का प्रावधान था। इस प्रकार ठेकेदार से 1 प्रतिशत of ₹ 4913310 x 46 days = ₹ 22,60,136/- ltd. To 10% of 46,13,340/- 4,91,334/- यानि 4,91,334/- वसूलने थे।

उक्त की ओर इं गत करने पर खण्ड द्वारा बताया गया क वस्तृत आगणन स्वीकृति हेतु मुख्य अ भयन्ता कार्यालय को माह 02/2016 में ही प्रस्तुत कर दिया गया था तथा जिसकी स्वीकृति हेतु मुख्य अ भयन्ता द्वारा मौ खक स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। मा सक लेखा (12/2017) के प्रपत्र-64 एवं गठित अनुबंधों के सापेक्ष ठेकेदारों को कए गए भुगतान में 258.29 लाख के अन्तर के संबंध में बताया क माह 12/2017 के प्रपत्र-64 में इस वर्ष का व्यय अं कत कया गया है जिसमें वर्ष 2016 का व्यय सम्मि लत नहीं है। ठेकेदार से 4,91,334/- की वसूली न करने के संबंध में बताया क अनुबंध संख्या 11/EE/2016-17 के अधीन समयवृद ध प्रकरण आप त्त में उपखण्ड को लौटाया गया था जिस पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। साथ ही बिना स्वीकृत घाटा-बड़ी के अ धक मात्रा के कार्य 470.17cum पर अनु चत भुगतान के संबध में अवगत कराया क अनुबंधों के अधीन Tentative variation पूर्व में स्वीकृत कराये गये थे। कार्य पूर्ण होने पर संपादित कार्य की वास्त वक मात्रा के अनुसार Variation बनाकर स्वीकृत हेतु प्रे षत कया जाएगा।

खण्ड का उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्यों क यदि मौ खक स्वीकृति माह 02/2016 में प्रदान कर दी गयी होती तो खण्ड द्वारा अनुबंध गठित करने के उपरांत ल खत आदेश भी प्राप्त कए होते। 258.29 लाख के अन्तर से संबं धत उत्तर मा सक लेखा (12/2017) के प्रपत्र-64 में वर्ष 2016 का व्यय सम्मि लत नहीं है भी मान्य नहीं है क्यों क प्रपत्र- 64 (12/2017) में पछले वत्तीय वर्ष तक का व्यय 825.35 लाख दर्शाने के साथ साथ वत्तीय वर्ष 2017-18 के माह 12/2017 तक कुल आवंटित धनरा श 48.55 लाख के सापेक्ष 47,90,380/- का व्यय दर्शाने एवं खण्ड द्वारा अपने उत्तर से संबं धत साक्ष्य प्रस्तुत न करने से स्पष्ट है क कार्य से संबं धत ठेकेदारों को 1131.54 लाख भुगतान के सापेक्ष मात्र 873.25 लाख का ही व्यय कार्य पर भारित कया गया है। ठेकेदार से 4,91,334/- की वसूली न करने के संबंध में उत्तर अनुबंध संख्या 11/EE/2016-17 के अधीन समयवृद् ध प्रकरण आपप्ति में उपखण्ड को लौटाया गया था जिस पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी भी मान्य नहीं है क्यों क इस संबध में खण्ड द्वारा लेखापरीक्षा को कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कया गया है। इसके अतिरिक्त बिना स्वीकृत के अ धक मात्रा के 470.17 cum कार्य हेतु 43,577/- के अनु चत भुगतान से संबं धत उत्तर कार्य पूर्ण होने पर संपादित कार्य की वास्त वक मात्रा के अनुसार variation बनाकर स्वीकृति हेतु प्रे षत कया जाएगा भी लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्यों क अनुबंध संख्या 07/SE/2015-16 एवं 25/EE/2016-17 के अंतर्गत कराये जाने वाले कार्य ठेकेदार द्वारा पूर्ण कए जाने के साथ साथ MB एवं अंतिम भुगतान भी हो गया है।

अतः 470.04 लाख के अनुबंध तकनीकी स्वीकृति से पूर्व गठित करना, कार्य हेतु गठित अनुबंधों के सापेक्ष कया गया भुगतान एवं मा सक लेखा माह 12/2017 के प्रपत्र-64 में कार्य पर

भारित अद्यतन व्यय में 258.29 लाख का अन्तर, बिना स्वीकृति अधिक मात्रा के कार्य हेतु 43,577/- का भुगतान किया जाना एवं ठेकेदार से 4.91 लाख का आर्थिक दण्ड न वसूले जाने के प्रकरण को उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2(ब)

प्रस्तर-03: रु 61.15 लाख की धनरा श के अर्थदण्ड की वसूली के साथ रु 119.59 लाख की सृजित देनदारी का लम्बित रहना।

उत्तराखंड शासन द्वारा सी0 एस0एस0 (पुनर्निर्माण) मद मे (जनपद देहरादून के वकासनगर, कालसी, चकराता वकास खंड मे सहिया बाज़ार, हरीपुर नाला, क्याका-मैसान बोंदर क्षेत्र (लाखा मण्डल), गुनडा (त्यूनी तथा पृथ्वीपुर एवं बहादुरगढ़ की बाढ़ सुरक्षा योजना हेतु रु 1178.85 लाख की प्रशासनिक एवं वत्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी (मार्च 2014) जिसकी प्रा व धक स्वीकृति निम्नानुसार की गयी थी (सतंबर 2014)।

Sl No	Name of estimate	Cost in Lakhs
1	सहिया बाज़ार की अमलाव नदी एवं सरला खड्ड से बाढ़ सुरक्षा योजना	631.11
2	श्रीमती शरीफन के घर से यमुनानदी तक हरीपुर नाले की बाढ़ सुरक्षा योजना	57.14
3	ग्राम सभा डेरियो-घण्टा के क्यारका-मैसान क्षेत्र की कुतोनाई खड्ड से बाढ़ सुरक्षा योजना	102.45
4	बोन्दर क्षेत्र के अंतर्गत लाखमंडल की रिख्नाड खड्ड बाढ़ सुरक्षा योजना	135.37
5	ग्राम गुण्ड (त्युनी) की टोन्स नदी से बाढ़ सुरक्षा योजना	1157.30
6	ग्राम पृथ्वीपुर एवं बहादुर गढ़ के मध्य जल निकासी की योजना	95.48
	कुल योग	1178.85

वकास खंड कलसी के सहिया बाजार की अमलावा नदी एवं सरला खड्ड से बाढ़ सुरक्षा हेतु एक अनुबंध (01/SE/2013-14 दिनां कत 05.05.2014) M/s V. S. Buildcon के साथ रु 611.46 लाख हेतु गठित कया गया जिसके अनुसार कार्य समाप्ति की ति थ 04.11.2014 थी।

अ धशासी अ भयंता, संचाई खंड, कालसी के अ भलेखो की जांच मे पाया गया क उपरोक्त अनुबंध के अंतर्गत कार्य समाप्ती की ति थ के 08 माह बाद भी ठेकेदार द्वारा मात्र रु 140.44 लाख की लागत (22.96 %) के ही कार्य संपादित कए गए थे तथा व भन्न अनुस्मारक के बाद भी कार्य प्रारम्भ नहीं कया गया था। कन्तु खंड द्वारा वर्तमान तक न तो कार्य मे वलम्ब / अपूर्ण छोड़ने हेतु न कोई अर्थदण्ड (रु 61.15 लाख)[1] वसूल कया

[1] निर्धारित ति थ से वर्तमान तक कार्य पूर्ण न होने की अव ध : 04.11.2014 से 23.01.2018 (1175 days)
कार्य की अनुमानित लागत : 611.466 लाख

था और न ही कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी थी अ पतु खंड द्वारा वर्ष 2015-16 मे 12 अनुबंध एवं वर्ष 2016-17 मे 64 अन्य अनुबंध गठित कर अवशेष कार्य का निष्पादन कराया गया जिससे कुल रु 119.59 लाख की सृजित देनदारी लम्बित थी।

उक्त क ओर इं गत करने पर खंड द्वारा उत्तर मे बताया गया क अनुबंध के अधीन 10 प्रतिशत के अर्थदण्ड की वसूली का प्रकरण तैयार कर अधीक्षण अ भयंता कार्यालय को प्रे षत कया गया है जिसकी स्वीकृति प्राप्त होते ही नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। 119.59 लाख की सृजित देनदारी का तथ्य खंड द्वारा स्वीकार्य कराते हुये बताया गया क कुल रु 344.97 लाख की सृजित देनदारी के सापेक्ष इस वत्तीय वर्ष मे रु 225.38 लाख की धनरा श का आवंटन प्राप्त हुआ था, जिसका भुगतान कया जा रहा है।

अतः खंड के उत्तर से स्वतः स्पष्ट है क खंड द्वारा वर्तमान तक ठेकेदार से न तो रु 61.15 लाख के अर्थदण्ड की वसूली क गयी थी अ पतु अवशेष कार्यो पर रु 119.59 लाख के अर्थदण्ड की लम्बित देनदारी भी सृजित की गयी थी, का प्रकरण उच्चा धकारिओ के संज्ञान मे लाया जाता है।

Delay compensation amount := Estmtd cost x rate x no of days

= 611.46 x .01 x 1175 days

= 71884.66 lakh

Say = Rs 61.15 lakh (Max. 10% of Estmd cost) as per contract conditions

भाग-**III**

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
76/2006-07	1	3
56/2008-09	-	1
25/2009-10	2	-
90/2010-11	-	3
93/2011-12	1	1,2,3,4
50/2013-14	-	1,2
44/2015-16	-	1,2,3,4
72/2016-17	1	1

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
शून्य				

भाग-**IV**

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, संचाई खण्ड - कालसी, मुख्यालय - अम्बाड़ी (देहरादून) तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

(i) शून्य

2. सतत् अनिय मतताएः

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री सुनील कुमार	अ धशासी अ भयन्ता
(ii)	श्री पुरूषोत्तम	अ धशासी अ भयन्ता
(iii)	श्री प्र सद्ध नारायण राय	अ धशासी अ भयन्ता (05/09/2017 से वर्तमान तक)

4. वगत संप्रेक्षा से अब तक निम्न ल खत खण्डीय लेखा धकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

1. श्री राकेश कुमार रस्तोगी 12/06/2017 तक
2. श्री बलदेव राम 12/06/2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, संचाई खण्ड - कालसी, मुख्यालय - अम्बाड़ी (देहरादून) को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार, आ र्थक क्षेत्र-2 कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रे षत कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी

आ र्थक खण्ड-II